न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -68/2024

अनवान

देवीलाल पुत्र ताराचंद धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम हाड़ो की मोरवन, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. सीता उर्फ सीताराम पुत्र काश्या कुमावत, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।.
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी

श्री आजाद हुसैन अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 29.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने न्यायालय श्रीमान मे एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188 रा0टि0एक्ट का पेश किया है वादी प्रार्थी को आशा है कि वाद पत्र अवश्य ही वादी के पक्ष में डिकी होगा लेकिन निर्णय, मे समय लगेगा इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 सीता पुत्र काश्या के संयुक्त खाते के कृषि आराजीयात जो ग्राम मौजा जावदा, प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा कि जमाबंदी सम्वत् 2054-2057 की खाता संख्या 134, खसरा संख्या 196, रकबा 0.5400 हैक्टर कृषि भूमि खाते दर्ज रिकार्ड है, जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा निहित है. जो बंटवारा करने के पश्चात ग्राम जावदा की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 325, खसरा संख्या 914/457 रकबा 0.2100 हैक्टर कृषि भूमि सीताराम पुत्र काश्या कुमावत सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त वर्णित कृर्षि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को जावदा रतनगढ मैन रोड पर 30 गुणा 18 फीट कृषि भूमि का बेचान किमतन 31,000/-रू0 के प्रतिफल मे विक्रय कर राशियां नकद प्राप्त कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था, जिसका एक इकरारनामा दिनांक 02.06.2007 को आप्लेखित कर नोटेरी श्री प्रदीप बीलू: एडवोकेट से प्रमाणित करवाया था, जिसमे गवाहान भागचंद पुत्र ताराचंद धाकड, गोपाल पुत्र प्रभुलाल धाकड़, निवासी जावदा के हस्ताक्षर है तथा कय दिनांक से ही प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि 30 गुणा 18 फीट कुल 540 वर्गफीट भूमि पर काबिज होकर उसके चारो तरफ कच्चे पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल बनाकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को कई मर्तबा पंजीयन कराने हेतू निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा हमेशा टालम टोल कर पंजीयन नही करवाया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.07.2024 को अपने अधिवक्ता के मार्फत लिगल रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करवाया, नोटिस मिलने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पंजीयन नही करवाया जा रहा है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा बार बार अप्रार्थी संख्या 01 को पैरा संख्या 01 में वर्णित क्रयशुदा भूमि का पंजीयन कराने हेतू निवेदन करने के बावजूद भी पंजीयन नही करवाया जा रहा है, तथा मुझ प्रार्थी को क्रयशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने मे अमल दखल पैदा कर आये दिन कब्जा छुडाने की धमकियां दी जा रही है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी कि क्रयशुदा भूमि मे किसी प्रकार कर अमल दखल न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी अन्य व्यक्ति से करावे। इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अंत प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वह वादी की क्रयशुदा कृषि भूमि जिस पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसमे किसी प्रकार कि दखल अंदाजी, रहन बेचान ने तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन ने मय वकालतनामा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:52:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पत्र की कॉलम संख्या 01 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है अप्रार्थी को वाद पत्र की कोई तामील अभी तक नहीं कराई गई है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित खसरा संख्या 914/457 में विवादित प्लॉट का बेचान नामा धोखे से अप्रार्थी से प्रार्थी ने लिखवा लिया था और यह कहा था कि घर चल कर रूपये दे देंगे परन्तु आज तक प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्लॉट की राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है, प्रार्थी दिनांक 15.07.2024 को पहली बार वकील द्वारा नोटिस मेल कर प्लॉट की रजिस्ट्री करने को कहा उसका जवाब दिनांक 29.07.2024 को दे दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि इकरार नामे की मयाद भी बदल चुकी है और आप द्वारा अप्रार्थी से धोखे से लिखवा गया इकरार नामा निरस्त यिका जा चुका है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य अंकित किये गये है, वह भी गलत होने से स्वीकार नहीं है, अप्रार्थी ने अब तक उसको कोई कब्जा नहीं दिया है और प्रार्थी ने नोटिस देने से पूर्व कभी भी रजिस्ट्री कराने हेतु नहीं कहा। मोके पर विवादित प्लॉट पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी की प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, प्रार्थी के विवादित प्लॉट की अपने नाम घोषणा कराने का कोई अधिकार नहीं है, मामला प्लॉट का होने के कारण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए वावजूद जवाद अप्राप्त। पेरोकार सरकार उक्त प्रकरण में एक फॉर्मल पार्टी होकर हित बद्ध पक्षकार नहीं होकर राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा जावदा, प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा कि जमाबंदी सम्वत् 2054-2057 की खाता संख्या 134, खसरा संख्या 196, रकबा 0.5400 हैक्टर कृषि भूमि खाते दर्ज रिकार्ड है, जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा निहित है. जो बंटवारा करने के पश्चात ग्राम जावदा की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 325, खसरा संख्या 914/457 रकबा 0.2100 हैक्टर कृषि भूमि सीताराम पुत्र काश्या कुमावत सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त वर्णित कृषि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को जावदा रतनगढ मैन रोड पर 30 गुणा 18 फीट कृषि भूमि का बेचान किमतन 31,000/-रू0 के प्रतिफल मे विक्रय कर राशियां नकद प्राप्त कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि 30 गुणा 18 फीट कुल 540 वर्गफीट भूमि पर काबिज होकर उसके चारो तरफ कच्चे पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल बनाकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, वह वादी कि क्रयशुदा कृषि भूमि जिस पर वादी काबिज़ होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसमे किसी प्रकार कि दखल अंदाजी, रहन बेचान ने तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावें। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि ़सरा संख्या 914/457 में विवादित प्लॉट का बेचान नामा धोखे से अप्रार्थी से प्रार्थी ने लिखवा लिया था और यह कहा था कि घर चल कर रूपये दे देंगे परन्तु आज तक प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्लॉट की राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य व मनगढंत आधारों पर होने से तथा सुदृढ आधारो पर आधारित नही होने से खाीज किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ग्राम जावदा की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 325, खसरा संख्या 914/457 रकबा 0.2100 हैक्टर कृषि भूमि सीताराम पुत्र काश्या कुमावत सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त वर्णित कृषि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को जावदा रतनगढ मैन रोड पर 30 गुणा 18 फीट कृषि भूमि सीता उर्फ सीताराम पुत्र काश्या कुमावत के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के हक में उक्त विवादित भूमि का इकरारनामा लिखा हुआ हो प्रार्थी द्वारा पत्रावली में किया है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण होने पर ही साक्ष्य सबूतों के आधा[illegible] विवादित आराजीयात की वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, जिससे प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी [illegible] होना [illegible]त होता है, वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में [illegible] ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार [illegible] जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की [illegible]स्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:52:00 IST
Reason: Self Attested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा